

आवंटन नीति

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ :-

- (1) यह नीति कृषि उपज मण्डी प्रांगणों में "अचल सम्पत्ति आवंटन नीति-2005" कहलायेगी।
- (2) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
- (3) यह नीति राजस्थान की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों पर लागू होगी।

2. परिभाषाएं : जब तक कि विषय या संदर्भ अन्यथा अभिप्रेत न हो, इस नीति में :-

- (1) मण्डी प्रांगण से तात्पर्य वर्तमान में विद्यमान, निर्माणाधीन व भविष्य में निर्मित होने वाले व अधिसूचित किये जाने वाले मुख्य मण्डी एवं गौण मण्डी प्रांगणों से है।
- (2) अचल सम्पत्ति से तात्पर्य मण्डी प्रांगण के ले-आउट प्लान में चिह्नित भूखण्ड एवं मण्डी प्रांगण में निर्मित भवनों से है।
- (3) दुकान से तात्पर्य निर्मित दुकान मय प्लेटफार्म, दुकान मय गोदाम एवं प्लेटफार्म से है।
- (4) फुटकर दुकान (सण्डरी शॉप) से तात्पर्य गैर अधिसूचित कृषि जिन्सों के व्यवसाय तथा कृषि से सम्बन्धित आदान एवं सेवाओं के लिए निर्मित दुकान से है।
- (5) भू-खण्ड से तात्पर्य मण्डी प्रांगण के ले-आउट प्लान में विभिन्न प्रयोजनार्थ चिह्नित रिक्त स्थान से है।
- (6) भूमि से तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा मुख्य मण्डी यार्ड, गौण मण्डी एवं मण्डी क्षेत्र में अवाप्त, आवंटन अथवा अन्य किसी स्रोत से प्राप्त की गयी हो।
- (7) डी.एल.सी. दर से तात्पर्य सम्बन्धित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा कृषि उपज मण्डी के मुख्य/गौण मण्डी प्रांगण क्षेत्र हेतु निर्धारित प्रचलित व्यवसायिक दर है। ऐसी दर निर्धारित न होने की दशा में मण्डी प्रांगण के निकटतम क्षेत्र की व्यवसायिक डी.एल.सी. दर ही डी.एल.सी. दर कहलाएगी।
- (8) प्रथम चरण के आवंटन से तात्पर्य विद्यमान मण्डी प्रांगण में चल रहे व्यवसाय एवं कार्यरत अनुज्ञापत्रधारियों, जिन्हें विद्यमान मण्डी प्रांगण के अधोषित किये जाने अथवा अन्य कारणों से नवनिर्मित मण्डी प्रांगण में स्थानान्तरित किये जाने के कारण, नवनिर्मित मण्डी प्रांगण में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन दुकानों के भूखण्ड/दुकानें आवंटित किये जाने से है। इसमें मण्डी क्षेत्र में अवस्थित सभी इच्छुक अनुज्ञापत्रधारी व्यवसायियों को स्थानान्तरित किया जाना भी शामिल है, किन्तु सब-यार्ड के अनुज्ञाधारी को नवनिर्मित प्रांगण में भूखण्ड आवंटन पर उसे सब-यार्ड में आवंटित दुकान समर्पित करनी होगी।
- (9) "द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरणों का आवंटन" से तात्पर्य प्रथम चरण के आवंटन के पश्चात् शेष रहे दुकानों के भूखण्ड/दुकानों के आवंटन से है। इसमें प्रथम चरण के निरस्त एवं रिक्त होने से उपलब्ध दुकानों के भूखण्ड/दुकान भी शामिल है।
- (10) कृषक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो राजस्व अभिलेख में स्वयं के नाम से भूमि धारण करता है।
- (11) टर्न ओवर से तात्पर्य विज्ञप्त कृषि जिन्सों के विक्रय से है।

3. प्रथम चरण का आवंटन :-

- (1) नवनिर्मित मण्डी प्रांगण में प्रथम चरण में दुकानों के भूखण्डों/दुकानों का आवंटन 99 वर्षीय लीज पद्धति के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर, आरक्षित दर पर किया जावेगा।
- (2) मण्डी प्रांगण के अन्यत्र स्थानान्तरण की दशा में लीज को 99 वर्ष से पूर्व भी निरस्त किया जा सकेगा।
- (3) 99 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर लीज को एक बार में 10 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा।
- (4) प्रथम चरण के आवंटन में पात्र आवेदकों को वरीयता क्रम के अनुसार दुकान/दुकानों के भूखण्ड का चयन करने का अवसर प्रदान किया जावेगा। आवंटन समिति द्वारा उपलब्ध दुकानों के भूखण्डों/दुकानों पर नम्बरिंग करने के पश्चात् वरीयताधारी को वरीयता क्रम से आवंटन समिति के समक्ष उपस्थित होकर उपलब्ध दुकानों के भूखण्ड/दुकान में से दुकानों के भूखण्ड/दुकान का चयन करना होगा। आवंटन समिति द्वारा प्रथम वरीयताधारी को दिये गये दुकानों के भूखण्ड/दुकान के समक्ष क्रॉस अंकित कर सहमति स्वरूप वरीयताधारी के हस्ताक्षर कराये जाएंगे। इसके उपरान्त अगले वरीयताधारी को बुलाया जावेगा। जो आवेदक अपने वरीयता क्रम पर अपनी पसन्द बताने में असफल रहेगा, ऐसे असफल वरीयताधारियों को आवंटन समिति द्वारा शेष रही दुकानों के भूखण्डों/दुकानों का लॉटरी पद्धति से आवंटन किया जावेगा।
- (5) 99 वर्षीय लीज पर आवंटित भूखण्डों के संबंध में लीज राशि 2.5 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत की जाती है। जिन मंडियों में दुकानों का आवंटन निर्माण कराकर किया गया है वहां भूमि एवं निर्माण लागत के आधार पर लीज राशि एवं जहां केवल भूखण्ड का आवंटन किया गया है वहां केवल भूमि की कीमत पर लीज राशि ली जावे। भूमि की कीमत का निर्धारण 1.4.07 को प्रभावी डी.एल.सी. की दर के 25 प्रतिशत दर के आधार पर ही किया जायेगा। इसमें प्रत्येक 10वर्ष पश्चात 25 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी। आवंटी द्वारा लीज राशि की 10गुणा राशि एक मुश्त जमा कराने पर आवंटी को भविष्य में लीज के भुगतान से मुक्त किया जा सकेगा।
- (6) लीज अवधि पूर्ण होने से पूर्व मण्डी प्रांगण के स्थानान्तरण की दशा में आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड पर निर्मित दुकान की लागत, जिसमें भूखण्ड की आवंटन के समय की आरक्षित राशि व दुकान निर्माण की लागत, जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये गये निर्धारण एवं पंजीयन मुद्रांक विभाग की रीति से किये गये निर्धारण में से जो भी अधिक हो, शामिल होगी, के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली राशि मण्डी समिति एवं आवंटी में 50-50% के अनुपात में विभाजित की जावेगी।
- (7) प्रथम चरण में आवंटन प्रक्रिया अनुलग्नक "अ" के अनुसार होगी।

4. प्रथम चरण के आवंटन के लिए पात्रता :-

- (1) प्रथम चरण के आवंटन में केवल ऐसे "क" वर्ग दलाल, संयुक्त व्यापारी व व्यापारी वर्ग के अनुज्ञापत्रधारी ही आवंटन के पात्र होंगे, जो कि अधोषित किये जाने वाले मण्डी प्रांगण एवं मार्केट एरिया में अवस्थित हों एवं व्यवसाय कर रहे हों तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवंटन के पात्र हों।

- (2) ऐसे अनुज्ञाधारी जिन्होंने आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की सूचना जारी होने वाले वर्ष से ठीक पूर्व वर्ष के 3 वित्तीय वर्षों में अधिसूचित कृषि जिन्सों का टर्न-ओवर नहीं किया हो, आवंटन हेतु अपात्र होंगे।
- (3) किसी अनुज्ञाधारी फर्म के भागीदार यदि अन्य फर्म में भी भागीदार हों तो ऐसी अन्य फर्म आवंटन के लिए अपात्र होंगी। अनुज्ञाधारियों को आवंटन हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र में यह स्पष्ट करना होगा कि वे कितनी फर्मों में भागीदार हैं व उसमें से कौन सी एक फर्म हेतु आवंटन चाहते हैं।
- (4) प्रथम चरण में ऐसे आवेदनकर्ता जो अनुज्ञापत्रधारी होने के उपरान्त भी इस अनुच्छेद के 2 के प्राधानान्तर्गत आवंटन विज्ञप्ति से गत तीन वर्षों में निरन्तर व्यवसाय रत न होने के कारण अर्थात् विज्ञप्त कृषि जिन्सों के टर्नओवर नहीं करने के कारण अपात्र कर दिये जाते हैं, उन्हें द्वितीय चरण की भांति एवं दर पर आवंटन किया जावे। ताकि प्रथम चरण के सभी अनुज्ञापत्रधारी आवेदकों को आवंटन हो सके।

5. आरक्षित दर का निर्धारण :-

- (1) प्रथम चरण के आवंटन हेतु दकानों के भूखण्ड एवं दुकानों की आरक्षित दर का निर्धारण निम्न प्रकार किया जावेगा -

भूखण्ड की भूमि की लागत + मण्डी प्रांगण के विकास कार्यों की लागत का 70%

आरक्षित दर =
(प्रति वर्गमीटर)

आवंटन/निस्तारण योग्य क्षेत्रफल
(वर्गमीटर)

स्पष्टीकरण :

- (i) भूमि की लागत से तात्पर्य मण्डी प्रांगण के लिए विकसित की गयी भूमि की लागत से है। भूमि अर्जन की लागत में आवंटन वर्ष से ठीक पहले समाप्त हुए वित्त वर्ष तक 10% की दर से ब्याज शामिल किया जावेगा।
- (ii) विकास कार्यों की लागत से तात्पर्य मण्डी प्रांगण के विकास पर किये जाने वाले सम्पूर्ण व्यय से है, परन्तु इसमें स्टाफ क्वार्टर्स की लागत शामिल नहीं होगी।
- (iii) आवंटन एवं निस्तारण योग्य भूमि से तात्पर्य ऐसे समस्त क्षेत्र से है, जिसका व्यवसायिक उपयोग हो, इसमें कॉमन सुविधाओं की भूमि यथा आन्तरित सड़कें, ऑक्शन प्लेटफार्म, कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टर्स शामिल नहीं होंगे।
- (2) निर्मित दुकानों की आरक्षित दर उपरोक्त वर्णित रीति से निर्धारित दुकान के भूखण्ड की आरक्षित दर एवं दुकान की निर्माण लागत मूल्य के योग के बराबर होगी।
- (3) आवंटी को कॉर्नर के दुकान के भूखण्ड अथवा दुकान के लिए आरक्षित दर की 10% राशि का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। (प्रत्येक चरण में)
- (4) विद्यमान मण्डी प्रांगण में जहां न्यायालय आदेश या किसी अन्य कारण से प्रथम चरण का आवंटन शेष है, ऐसे मामलों में दुकानों के भूखण्ड/दुकान की आरक्षित दर का निर्धारण मण्डी के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

6. आरक्षित राशि की वसूली :-

- (1) आबंटियों से दुकान/दुकान के भूखण्ड की आरक्षित राशि निम्न रीति से वसूल की जावेगी:-

(1) प्रथम चरण में आवंटित भूखण्ड के मूल्य की 25% राशि आवंटन पत्र जारी होने पर आवंटन पत्र में निर्दिष्ट अवधि में, 25% राशि इसके तीन माह बाद एवं शेष 50% राशि तत्पश्चात् 6-6 माह की समान किश्तों में जमा कराई जाएगी।

(2) आरक्षित राशि आवंटन के समय एक मुश्त जमा करवाने की दशा में आवंटी को आवंटन राशि में 5% की छूट दी जावेगी।

(3) आवंटन के समय भुगतान की गयी आरक्षित राशि के अलावा शेष राशि पर आवंटी द्वारा 10% वार्षिक दर पर ब्याज देय होगा। शेष राशि देय तिथि के पश्चात् अधिकतम 6 माह की अवधि में 15% वार्षिक ब्याज दर के साथ जमा कराई जा सकेगी। इसके पश्चात् आवंटी का आवंटन एवं अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा आवंटित भूखण्ड अथवा दुकान सभी भागों से मुक्त होकर मण्डी समिति में निहित हो जावेगी।

7. द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरणों का आवंटन :-

(1) द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरणों में दुकानों के भूखण्ड या दुकानों का आवंटन ऐसे अनुज्ञापत्रधारी आवेदक को ही किया जावेगा, जिन्होंने आवंटन के वर्ष से ठीक पूर्व के कम से कम एक वित्तीय वर्ष में अधिसूचित कृषि जिनसों का व्यवसाय किया हो, परन्तु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर की डेढ़ गुना राशि का भुगतान करने पर ऐसे आवेदकों को भी भूखण्ड या दुकान आवंटित की जा सकेगी, जिन्होंने पूर्व में अधिसूचित कृषि जिनसों का व्यवसाय नहीं किया हो। दोनों श्रेणियों के आवेदकों की संख्या के आधार पर भूखण्डों की संख्या का श्रेणीवार निर्धारण किया जायेगा।

(2) आवंटन की दर डी.एल.सी. की 50 प्रतिशत राशि होगी, परन्तु यह दर निकटतम क्षेत्र की रिको दर से कम नहीं होगी। परन्तु जिन मण्डियों हेतु पृथक से डी.एल.सी. दर निर्धारित हो गई है, तो उसी डी.एल.सी. दर (100%) को ही द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरणों में आवंटन का आधार रखा जावेगा।

उक्त प्रावधान बिन्दु संख्या 12 के तहत सण्डी शॉप्स के आवंटन तथा बिन्दु संख्या 17 के तहत भूखण्ड एवं निर्मित गोदाम आवंटन तथा उन प्रकरणों में भी लागू होगा जहां किराये की दुकानों को डी.एल.सी. की 25% पर आवंटित करने का प्रावधान है।

(3) आवंटन 99 वर्षीय लीज के आधार पर होगा।

(4) आवंटित दुकानों के भूखण्ड/दुकान की राशि का भुगतान आवंटन के समय एक मुश्त किया जावेगा।

(5) आवंटन हेतु उपलब्ध दुकानों के भूखण्डों/दुकानों पर आवंटन से पूर्व दुकानों के भूखण्ड/दुकान की नम्बरिंग का कार्य आवंटन समिति द्वारा किया जावेगा। द्वितीय एवं पश्चातवर्ती चरणों में दुकानों के भूखण्ड या दुकान का आवंटन, पात्र आवेदकों को लॉटरी पद्धति के आधार पर किया जायेगा। ऐसे आवंटन के साथ अनुज्ञाधारियों की सूची समाप्त हो जावेगी। अगली बार आवंटन हेतु पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे एवं तदानुसार दुकानों के भूखण्ड/दुकानों का आवंटन किया जा सकेगा। निर्धारित दर की डेढ़ गुना राशि पर भूखण्ड/दुकान लेने वाले आवेदकों की संख्या उपलब्ध भूखण्ड/दुकानों से अधिक होने पर आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जावेगा।

(6) 99 वर्षीय लीज पर आवंटित भूखण्डों के संबंध में लीज राशि 2.5% के स्थान पर 1.00% की जाती है। जिन मण्डियों में दुकानों का आवंटन निर्माण कराकर किया गया है वहां भूमि की कीमत एवं निर्माण लागत के आधार पर एवं जहां केवल

भूखण्ड का आवंटन किया गया है वहां केवल भूमि की कीमत पर लीज राशि देय होगी। इसमें प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात 25% की वृद्धि की जावेगी। आवंटी द्वारा लीज राशि की 10 गुणा राशि एक मुश्त जमा कराने पर, आवंटी को भविष्य में लीज के भुगतान से मुक्त किया जा सकेगा।

8. प्रथम तल का आवंटन :- (विलोपित)

श्रीमान् निदेशक एवं पदेन उप शासन सचिव, कृषि विपणन विभाग, राज0 जयपुर के पत्रांक प.5(155)निकृवि/आवंटन/28026-175 दिनांक 29.08.08 के अनुसार उक्त बिन्दु सं0: 8 "प्रथम तल का आवंटन सम्बन्धी" प्रावधान विलोपित किया गया।

9. आवंटन का अनुमोदन :-

मण्डी प्रांगणों में सभी चरणों में आवंटित भूखण्ड/दुकान का कब्जा दिये जाने से पूर्व निदेशक, कृषि विपणन से आवंटन समिति बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

10. दुकान निर्माण की अवधि एवं दुकानों का मण्डी समिति को समर्पण :-

- (1) प्रथम चरण, द्वितीय चरण व उसके बाद के चरणों में आवंटित होने वाले भूखण्डों पर आवंटी को मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्र/टाईप डिजाईन के अनुसार ही दुकान/गोदाम का निर्माण, भूखण्ड का कब्जा लिये जाने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में पूर्ण कराना होगा। उक्त अवधि के पश्चात भी निर्माण पूर्ण नहीं कराये जाने तीन माह का अतिरिक्त समय आवंटन राशि की 5 प्रतिशत शास्ति जमा कराने पर दिया जा सकेगा। उक्त अवधि में भी भी निर्माण कार्य पूर्ण कराकर व्यवसाय शुरू नहीं किए जाने पर आवंटी का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा। विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा निर्माण अवधि को कम किया जा सकेगा।
- (2) किसी विद्यमान मण्डी प्रांगण को स्थानान्तरित किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारियों को नवीन मण्डी प्रांगण में निर्मित दुकान/गोदाम आवंटन होने की दशा में दुकान/गोदाम का कब्जा दिये जाने की तिथि से एक माह की अवधि में विद्यमान मण्डी प्रांगण में आवंटित दुकान/गोदाम रिक्त कर मण्डी समिति को सुपुर्द करना होगा। इसकी पालना नहीं करने पर ऐसे आवंटियों का आवंटन व अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (3) नवीन मण्डी प्रांगण में दुकान के भूखण्ड आवंटन होने की दशा में आवंटित भूखण्ड पर दुकान/गोदाम निर्माण हो जाने पर अथवा निर्माण हेतु निर्धारित एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो विद्यमान मण्डी प्रांगण में आवंटन शुल्क पर आवंटित दुकान/गोदाम मण्डी समिति को रिक्त करके सुपुर्द करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर आवंटन एवं आवंटी का अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा एवं नवीन मण्डी प्रांगण में आवंटित भूखण्ड सभी भागों से मुक्त होकर मण्डी समिति में निहित हो जावेगा। लीज पर आवंटित दुकान अथवा भूखण्ड पर निर्मित दुकान की नीति के बिन्दु सं. 3(6) के अनुसार निर्धारित लागत के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली राशि मण्डी समिति एवं आवंटी में 50-50% के अनुपात में विभाजित की जावेगी।

11. मासिक आवंटन शुल्क पर आवंटित परिसम्पत्तियों का 99 वर्षीय लीज में परिवर्तन

- (1) (क) - कृषि मण्डी प्रांगणों में अनुज्ञाधारियों को आवंटन शुल्क (किराया) पद्धति पर आवंटित दुकानों/गोदामों को लीज पद्धति में परिवर्तित कराया जा सकेगा। जो अनुज्ञाधारी /आवंटी, आवंटित दुकान/गोदाम आवंटन शुल्क (किराया) पद्धति पर

रखना चाहते हैं, उनके द्वारा देय आवंटन शुल्क (किराया) की राशि में दिनांक 01.04.2007 के पश्चात प्रत्येक वित्त वर्ष के पूर्ण होने पर 5% की वृद्धि की जायेगी।
(ख) – मण्डी प्रांगणों में दुकानों/गोदामों के आवंटी अनुज्ञाधारियों को 31.08.2008 तक यह विकल्प सम्बन्धित मण्डी समिति को प्रस्तुत करना होगा कि वे आवंटित दुकान/गोदाम आवंटन शुल्क (किराया) पद्धति पर रखना चाहते हैं अथवा लीज पद्धति में परिवर्तित कराना चाहते हैं।

- (2) आवंटित दुकान/गोदाम को लीज पद्धति में परिवर्तित कराने की दशा में परिवर्तन की तिथि तक जमा कराई गई अथवा देय आवंटन शुल्क (किराये की राशि) दुकानों/गोदामों के लिये देय राशि में समायोजन अथवा वापस किये जाने योग्य नहीं होगी।
- (3) आवंटित दुकान/गोदाम को लीज पद्धति में परिवर्तित कराने की दशा में आवंटी द्वारा देय राशि दो समान किश्तों में जमा कराई जाएगी। प्रथम किश्त की राशि विकल्प देने के तीन माह की अवधि के भीतर एवं द्वितीय किश्त की राशि, प्रथम किश्त की राशि जमा कराने के 6 माह के भीतर एवं द्वितीय किश्त की राशि, प्रथम किश्त की राशि जमा कराने के 6 माह के भीतर जमा कराई जाएगी। यदि राशि सितम्बर, 11 तक जमा नहीं करायी जाती है तो बकाया राशि पर 1.4.2007 से 12% वार्षिक विलम्ब शुल्क के साथ 31.12.2011 तक जमा करायी जा सकेगी अन्यथा विकल्प अस्वीकार कर दिया जावेगा।
- (4) मासिक आवंटन शुल्क पर आवंटित दुकानों/गोदामों को लीज में परिवर्तित करने हेतु दिनांक 01.04.2007 को प्रभावी बी0एस0आर0 पर 2% प्रति वर्ष पर डेप्रिसिएशन घटाकर निर्माण लागत निर्धारित की जावे।
- (5) उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के अनुसार कार्यवाही न किये जाने की दशा में दुकान का आवंटन निरस्त समझा जावेगा एवं आवंटी के विरुद्ध लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ आवंटन द्वारा दुकान मण्डी समिति को समर्पित नहीं करने की स्थिति में दुकान खाली कराने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
- (6) 13 वर्षीय किराये पद्धति पर आवंटित दुकानों को 13 वर्ष पूर्ण होने पर द्वितीय चरण के आवंटन की भांति भूमि की कीमत के रूप में डी.एल.सी. की 50% राशि एवं निर्माण लागत शामिल करते हुए 99 वर्षीय लीज में परिवर्तित की जा सकेगी। लीज परिवर्तन पर देय आवंटन शुल्क 2 समान छमाही किश्तों में वसूलनीय होगी।

उपरोक्त प्रावधानों के तहत 99 वर्षीय लीज में परिवर्तित भूखण्डों के संबंध में लीज राशि 2.5% के स्थान पर 1.00% की जाती है। जिन मण्डियों में दुकानों का आवंटन निर्माण कराकर किया गया है वहां भूमि की कीमत एवं निर्माण लागत के आधार पर एवं जहां केवल भूखण्ड का आवंटन किया गया है वहां केवल भूमि की कीमत पर लीज राशि देय होगी। इसमें प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात 25% की वृद्धि की जावेगी। आवंटी द्वारा लीज राशि की 10 गुणा राशि एक मुश्त जमा कराने पर, आवंटी को भविष्य में लीज के भुगतान से मुक्त किया जा सकेगा।

- (7) मासिक आवंटन शुल्क पर आवंटित लीज में परिवर्तन के पश्चात अन्य फर्म/व्यक्ति को विक्रय करने पर भूमि की कीमत एवं दुकान की निर्माण लागत के पेटे भुगतान की गई राशि के 5 प्रतिशत के बराबर राशि परिवर्तन शुल्क के रूप में अदा करने पर विक्रय की जा सकेगी।
- (8) मासिक आवंटन शुल्क पर आवंटित दुकानों/गोदामों को लीज में परिवर्तन पर लीज राशि 2.5% के स्थान पर 1 प्रतिशत की जाती है। जिन मण्डियों में दुकानों का

आवंटन निर्माण कराकर किया गया है, वहां भूमि एवं निर्माण लागत के आधार पर लीज राशि एवं जहां केवल भूखण्ड का आवंटन किया गया है, वहां केवल भूमि की कीमत पर लीज राशि ली जावे। भूमि की कीमत का निर्धारित 01.04.2007 को प्रभावी डी0एल0सी0 की दर के 25% दर के आधार पर ही किया जायेगा। इसमें प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात 25% की वृद्धि की जावेगी। आवंटी द्वारा लीज राशि की 10 गुणा राशि एक मुश्त जमा कराने पर आवंटी को भविष्य में लीज के भुगतान से मुक्त किया जा सकेगा।

12. फुटकर दुकान (Sundry Shops) का आवंटन :-

छोटी दुकान का भूखण्ड अथवा निर्मित छोटी दुकान का आवंटन खाद-बीज-दवाईयों, बारदाना, पशु आहार, कृषि साहित्य, कृषि यंत्र एवं अन्य सम्बन्धित कृषि व्यवसाय से जुड़ी विभिन्न वस्तुएं एवं सेवाओं यथा एग्री क्लिनिक (केवल कृषि स्नातकों हेतु दो दुकानें) वायदा बाजार केन्द्र, बायो प्रोडक्ट शॉप, सर्टिफिकेशन लेब, टेस्टिंग लेबोर्टरी, गो-सेवा आयोग द्वारा प्रमाणित उत्पादों के विक्रय केन्द्र, निर्यात सलाह केन्द्र, सरस उत्पाद विपणन केन्द्र, कियोस्क, एस.टी.डी. पी.सी.ओ. आदि प्रयोजनों हेतु 99 वर्षीय लीज पद्धति पर डी.एल.सी. की 50% राशि पर उपलब्ध कराई जावेगी। उक्त उपलब्ध दुकान/भूखण्ड एवं कियोस्क में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु 30% आरक्षण रखा जावेगा एवं निःशक्तजन हेतु 3% दुकानें/भूखण्ड आरक्षित किये जावेंगे। आवेदकों की संख्या दुकानों की संख्या से अधिक होने पर, आवंटन लॉटरी द्वारा किया जायेगा।

अघोषित किये जाने वाले मण्डी प्रांगण में फुटकर श्रेणी के व्यवसाई, व्यवसायरत होने पर इन्हें नवीन मण्डी प्रांगण में प्राथमिकता से दुकान/भूखण्ड आवंटित किये जावेंगे। इस हेतु पात्रता के सम्बन्ध में उनके द्वारा सम्बन्धित विभाग से पंजीयन/अनुज्ञापत्र/बिक्रीकर निर्धारण की प्रति, जैसी भी स्थिति हो, उसका वर्णन या इस हेतु इनकी पात्रता के लिए यह आवश्यक होगा कि ऐसे व्यवसाई, गत पांच वर्षों में वास्तविक रूप से व्यवसायरत हों तथा उनके प्रमाणीकरण, सचिव, सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा किया जाना होगा। वही प्रस्तावित कार्यवाही के लिए मान्य होंगे।

- 12ए. राज्य के मंडी प्रांगणों में सहकारी क्षेत्र में ऑयल टेस्टिंग लैब स्थापित किये जाने हेतु 15'X20' का भूखंड निशुल्क आवंटित किया जावेगा। जिन मंडी प्रांगणों में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कृषि विभाग द्वारा संचालित नहीं है। ऐसे स्थानों पर उक्त सहकारी ऑयल टेस्टिंग लैब, मृदा परीक्षण का कार्य भी कर सकेगी। कृषकों की कृषि उपज का ऑयल टेस्टिंग निशुल्क किया जावेगा। 30/- रुपये प्रति सैम्पल तक पर परीक्षण शुल्क उक्त सहकारी ऑयल टेस्टिंग लैब को मासिक रूप से उनके द्वारा किये गये परीक्षणों का पुनर्भरण संबंधित कृषि उपज मंडी समिति द्वारा संबंधित सहकारी संस्था को किया जावेगा।

13. अन्य व्यवसायिक प्रयोजनों हेतु दुकानों के भूखण्डों का निस्तारण :-

मण्डी क्षेत्र/प्रांगण के विकास एवं राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वित्तीय साधनों के संग्रहण के लिए मण्डी समितियां अन्य वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये मण्डी प्रांगण की चारदिवारी पर स्थित एवं मण्डी

प्रांगण के भीतर उपलब्ध अनुपयोगी भूमि एवं भवनों को 99 वर्षीय लीज पद्धति के आधार पर निर्धारित शर्तों पर नीलामी के द्वारा निस्तारण कर सकेगी। नीलामी हेतु आरक्षित दर डी.एल.सी. दर के समान होगी, परन्तु यह दर रीको के निकटस्थ क्षेत्र की आरक्षित दर से कम नहीं होगी।

14. कोल्ड स्टोरेज एवं कृषि आधारित औद्योगिक (मूल्य संवर्धन) इकाई हेतु भूखण्ड आवंटन :-

कृषि आधारित औद्योगिक (मूल्य संवर्धन) इकाईयों हेतु मंडी प्रांगणों में उपलब्ध भूखंड को 99 वर्षीय लीज पद्धति पर निकटस्थ रीको क्षेत्र की औद्योगिक दर को आरक्षित दर मानते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर किया जावेगा। लेकिन ग्रेडिंग, पैकिंग तथा अन्य कृषि व्यवसाय की गतिविधि कृषि उत्पाद में हानि कम करने हेतु कोल्ड स्टोरेज सहित कृषि व्यवसाय उद्यमों को भूमि आवंटन प्रचलित औद्योगिक आरक्षित दर के दो गुना दर पर किया जावेगा।

कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति-2010 के तहत मण्डी प्रांगण में खाद्य प्रसंस्करण हेतु निर्धारित क्षेत्र में सम्बन्धित मण्डी क्षेत्र से कृषि उत्पाद क्रय कर प्रसंस्करण हेतु उपयोग करने वाले कृषि प्रसंस्करणकर्ता उद्यमों को मण्डी में नामित क्षेत्र की आरक्षित दर में 25% की छूट उपलब्ध करवाई जावेगी। विशिष्ट मण्डियों के सम्बन्ध में यह छूट 50% होगी। इस प्रकार आवंटित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जावेगा। आवंटित भूमि को 2 वर्ष की अवधि में निर्धारित उपयोग में लेना होगा। निर्धारित अवधि में उपयोग नहीं किये जाने पर आवंटित भूमि स्वतः मण्डी समिति में निहित हो जायेगी।

15. पेट्रोल पम्प एवं बड़े व्यवसायिक शोरूम के लिए भूखण्ड का आवंटन :-

मण्डी प्रांगणों में पेट्रोल पम्प एवं बड़े व्यवसायिक शोरूम (जहां पर कृषि से संबंधित एवं कृषकों की अन्य आवश्यकताओं की समस्त वस्तुएं उपलब्ध हों) का आवंटन 99 वर्षीय लीज पद्धति पर डी.एल.सी. की 50% दर पर किया जावेगा। परन्तु यह दर रीको के निकटस्थ क्षेत्र की आरक्षित दर से कम नहीं होगी।

यह प्रावधान कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियों में उपयोग में आने वाले उत्पादों, यथा कृषि यंत्रों, कृषि आदानों, ट्रैक्टर आदि के विक्रय में विशिष्टता रखने वाले रिटेल-चेन उद्यमों को मण्डी प्रांगणों में खुदरा विक्रय केन्द्र स्थापित करने के लिए भी लागू होगा।

16. कोल्ड स्टोरेज, कृषि आधारित औद्योगिक (मूल्य संवर्धन) इकाई, पेट्रोल पम्प एवं बड़े व्यवसायिक शोरूम के लिए आवंटन की प्रक्रिया :-

(1) आवंटन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर किया जाएगा।

(2) आवंटन के लिए समुचित सूचना जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे।

- (3) उपलब्ध भूखण्डों की तुलना में अधिक प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर कोल्ड स्टोरेज एवं कृषि आधारित औद्योगिक इकाईयों के लिए भूखण्डों का आवंटन लॉटरी पद्धति से एवं पेट्रोल पम्प तथा बड़े व्यवसायिक शोरूमों के लिए भूखण्डों का आवंटन नीलामी पद्धति से किया जावेगा।

16-ए कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, 2010 के तहत भूखंड आवंटन:-

1. कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, 2010 के तहत भूखंड आवंटित किये जाने के लिए राज्य सरकार किसी भी मंडी समिति में उस क्षेत्र की मांग एवं अनुकूलता को दृष्टिगत रखते हुए स्थान/भूखंडों का चिन्हांकन कर सकेगी। ऐसा चिन्हांकन एक साथ किया जाएगा, अलग अलग आवेदन और उद्योगों के लिये अलग-अलग नहीं।
2. कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, 2010 के तहत भूखंड आवंटन के प्रार्थना पत्रों की जांच एवं पात्रता इस हेतु गठित समिति के द्वारा की जायेगी। इस प्रयोजनार्थ मंडी समिति में आरक्षित/चिन्हांकित स्थान/भूखंडों में से भूखंड आवंटित करने हेतु जांच के उपरान्त समिति अपनी अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को प्रेषित करेगी। समिति की अभिशंषा को दृष्टिगत रखते हुए भूमि आवंटन का राज्य सरकार के स्तर से निर्णय लिया जाकर संबंधित मंडी समिति को तदनु रूप भूमि आवंटित करने के निर्देश जारी किये जायेंगे।
3. मंडी प्रांगण में खाद्य प्रसंस्करण हेतु निर्धारित/चिन्हांकित क्षेत्र में संबंधित मंडी क्षेत्र से कृषि उत्पाद (कच्चा माल) क्रय कर प्रसंस्करण हेतु उपयोग करने वाले कृषि प्रसंस्कर्ता उद्यमों को मंडी के नामित क्षेत्र की आरक्षित दर में 25% की छूट उपलब्ध करायी जायेगी। विशिष्ट मंडियों के संबंध में यह छूट 50% तक होगी। इस प्रकार आवंटित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जा सकेगा। इस भूमि अथवा इसके किसी हिस्से का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग करने पर यह भूमि संबंधित कृषि उपज मंडी समिति को वापस आयेगी। आवंटित भूमि को 2वर्ष की अवधि में निर्धारित उपयोग में लेना होगा।
4. ग्रेडिंग, पैकिंग तथा अन्य कृषि व्यवसाय की गतिविधि कृषि उत्पाद में हानि कम करने हेतु कोल्डस्टोरेज सहित कृषि व्यवसाय उद्यमों को भूमि आवंटन हेतु इस बिन्दु के उप बिन्दु 1 एवं 2 के अनुसार होगा एवं इस भूमि अथवा इसके किसी हिस्से का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग करने पर यह भूमि संबंधित मंडी समिति को वापस आयेगी। आवंटित भूमि को 2वर्ष की अवधि में निर्धारित उपयोग में लेना होगा।

17. मण्डी प्रांगणों में दुकानों के पीछे चिन्हित भूखण्ड/निर्मित गोदाम आवंटन :-

- (1) दुकान के पीछे गोदाम हेतु चिन्हित भूखण्ड – मण्डी प्रांगणों में आवंटित दुकानों के पीछे गोदाम हेतु चिन्हित भूखण्ड का आवंटन 99 वर्षीय लीज पद्धति पर किया जावेगा।
- (2) दुकान के पीछे निर्मित गोदाम – मण्डी प्रांगणों में आवंटित दुकानों के पीछे निर्मित ऐसे गोदाम जिनका आवंटन नहीं किया हुआ है, का आवंटन 99 वर्षीय लीज पद्धति पर किया जावेगा।

(3) गोदाम के भूखण्ड के लिए आरक्षित दर/राशि डी.एल.सी. की 50 प्रतिशत राशि होगी। निर्मित गोदाम की दर/राशि, भूखण्ड की दर/राशि में निर्माण की लागत जोड़कर निर्धारित की जावेगी।

(4) उपरोक्त अनुच्छेद 17(1) व 17(2) के अन्तर्गत आवंटन की शर्तें द्वितीय व पश्चातवर्ती आवंटन की शर्तों के अनुरूप होगी।

17(अ) मंडी प्रांगणों में निर्मित रिक्त ग्रामीण गोदामों को 99 वर्षीय लीज पर आवंटन:

मंडी प्रांगणों में निर्मित रिक्त ग्रामीण गोदामों को वर्तमान डी.एल.सी. दर की 50% राशि पर भूमि की लागत में निर्माण लागत निर्मित दुकानों की भांति प्रतिवर्ष 2% डेप्रिसिएशन करते हुए 99 वर्षीय लीज पद्धति पर आवंटन किये जा सकेंगे।

इनका आवंटन 99 वर्ष की लीज पद्धति पर किये जाने हेतु प्रक्रिया निम्नप्रकार होगी:—

1. मंडियों में ग्रामीण गोदाम का उपयोग कृषि जिन्सों के भण्डारण हेतु ही किया जावेगा।
2. भण्डारण हेतु कृषकों द्वारा भण्डारण किये जाने पर भण्डारण की दर राज. भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं होगी।
3. ग्रामीण गोदाम हेतु विधिवत रूप से विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर लॉटरी से आवंटन किया जावेगा।
4. आवंटी को मंडी समिति से इस बाबत अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होगा।

18. कृषक वर्ग के लिए दुकानों के भूखण्ड का आरक्षण, पात्रता एवं प्रक्रिया आदि :-

(1) **आरक्षण**

(i) प्रत्येक नव निर्मित/विकसित किये जाने वाले मण्डी प्रांगणों में कृषकों के लिए आवंटन हेतु उपलब्ध दुकानों/भूखण्डों में से (फुटकर दुकानों के भूखण्डों को छोड़कर) 20% दुकानों/भूखण्डों का आरक्षण महिला कृषकों हेतु किया जायेगा। उक्त आरक्षित भूखण्डों/दुकानों में से क्रमशः 30% दुकान/भूखण्ड अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला हेतु आरक्षित किए जाकर निर्धारित प्रक्रियानुसार आवंटन किए जा सकेंगे।

(ii) प्रत्येक ब्लॉक में उपलब्ध कुल भूखण्डों के 10% का आरक्षण लॉटरी द्वारा किया जायेगा।

(2) **पात्रता**

(i) ऐसी कृषक महिला जो स्वयं के नाम से राजस्व रिकार्ड में भूमिधारण करती हों अथवा जिनकी राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी (पुरुष/महिला) की भूमि हो, वे मण्डी प्रांगण में आवंटन हेतु पात्र होंगी तथा कृषक महिला की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मण्डी क्षेत्र में अवस्थित हो एवं कृषक महिला मण्डी क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करती हो।

(3) **आवंटन की प्रक्रिया**

कृषकों के लिए आरक्षित दुकानों का आवंटन पात्र कृषकों से प्रार्थना पत्र आमंत्रित कर, लॉटरी पद्धति से सम्बन्धित चरण के आवंटन के लिए निर्धारित शर्तों पर किया जायेगा।

(4) आरक्षित राशि एवं इसकी वसूली

आरक्षित राशि का निर्धारण सम्बन्धित चरण के लिए आवंटन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप होगा एवं आरक्षित राशि की वसूली की प्रक्रिया भी प्रथम चरण के आवंटन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही होगी।

(5) कृषकों द्वारा अनुज्ञापत्र लिया जाना

भूखण्डों के आवंटन के पश्चात् आवंटी कृषकों को अधिसूचित कृषि जिन्सों के व्यवसाय के लिए मण्डी से अनुज्ञापत्र लेना होगा तथा आवंटित भूखण्ड पर केवल अधिसूचित कृषि जिन्सों का ही व्यवसाय किया जा सकेगा।

19. व्यापार संघ को भूखण्ड आवंटन :-

मण्डी प्रांगणों में भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में मण्डी समिति की श्रेणीवार निम्नानुसार साईज के भूखण्ड, स्थानीय व्यापार संघ को **डी.एल.सी. दर का ऐसा प्रतिशत जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जावे** पर 99 वर्षीय लीज पर आवंटित किये जा सकेंगे। भूखण्ड का आवंटन एक ही ऐसे व्यापार संघ को किया जा सकेगा जो कि मण्डी के सर्वाधिक अनुज्ञाधारियों का प्रतिनिधित्व करता हो।

विशिष्ट एवं "अ" श्रेणी	1000 वर्गमीटर
"ब" व "स" श्रेणी	500 वर्गमीटर
"द" श्रेणी	300 वर्गमीटर

20. लीज की शर्तें :-

मण्डी प्रांगणों में लीज पर आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों एवं दुकानों, गोदामों व अन्य भवनों व प्रयोजनों के लिए लीज की शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

21. मण्डी प्रांगणों में उपलब्ध भवन एवं भूमि का आवंटन :-

- (1) मण्डी प्रांगणों में उपलब्ध भवन, बैंकों, सरकारी विभागों, सहकारी संस्थाओं, राजकीय उपक्रमों, निगमों, मण्डलों व स्थानीय निकायों आदि को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किराये पर उपलब्ध कराये जा सकेंगे।
- (2) मण्डी प्रांगणों में उपलब्ध भूमि सरकारी विभागों, सहकारी संस्थाओं, राजकीय उपक्रमों, निगमों, मण्डलों, स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर आवंटित की जा सकेगी।

22. उपयोग परिवर्तन :-

मण्डी प्रांगणों में विभिन्न उपयोग हेतु निर्मित परिसम्पत्तियों का निर्धारित प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं होने की दशा में मण्डी समिति द्वारा उनका वैकल्पिक उपयोग निदेशक की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा।

23. आवंटन शुल्क/लीज राशि एवं अन्य बकाया की वसूली :-

इस नीति के अन्तर्गत बकाया राशि यथा आवंटन/लीज राशि/विलम्ब शुल्क एवं अन्य बकाया की वसूली राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

इस नीति की प्रभावशीलता के पश्चात् इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी निर्देशों एवं परिपत्रों में कोई भी विपरीत व्यवस्था होने पर इस नीति में वर्णित व्यवस्था का **Overriding** प्रभाव होगा, परन्तु ऐसे निर्देशों एवं परिपत्रों के तहत इस नीति के प्रभाव में आने से पूर्व की गयी कोई भी कार्यवाही इससे प्रभावित नहीं होगी।

24. नया प्रावधान :-

मण्डी प्रांगणों में 'ख' वर्ग दलालों को भूखण्ड आवंटन हेतु सम्भाग मुख्यालय पर स्थित मण्डी प्रांगणों में 1000 वर्ग मीटर का भूखण्ड अन्य मुख्य/गौण मण्डी प्रांगणों में 750 वर्ग मीटर का भूखण्ड डी.एल.सी. की दर पर रजिस्टर्ड 'ख' वर्ग दलाल संघ को आवंटित किया जावेगा। प्रस्तावित 1000 वर्ग मीटर एवं 750 वर्ग मीटर भूखण्ड मण्डी प्रांगणों में स्वयं दलालों के द्वारा अपने खर्च से खुद को निर्माण कराना होगा। तत्पश्चात निर्माण से पूर्व आवंटन प्रक्रिया नियमों में प्रस्तावित प्रक्रिया के तहत वरीयता एवं टर्न ओवर के अनुरूप सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति की देखरेख में कार्यवाही संघ के साथ मिलकर की जावेगी। जिसका अनुमोदन आवंटन प्रक्रिया के नियमों के तहत निदेशालय, कृषि विपणन द्वारा लिया जाना होगा। तदानुरूप कार्यवाही मान्य होगी।

इस नीति के बिन्दु सं. 12 के तहत आवंटित की जाने वाली भूखण्डों/फुटकर दुकानों, बिन्दु सं. 13 के तहत आवंटित की जाने वाली अन्य व्यवसायिक प्रयोजनों हेतु दुकानों के भूखण्डों, बिन्दु सं. 14 के तहत कोल्ड स्टोरेज एवं कृषि आधारित औद्योगिक ईकाइयों हेतु आमंत्रित की जाने वाले भूखण्डों, बिन्दु सं. 15 के तहत पेट्रोल पम्प एवं बड़े व्यवसायिक शोरूम हेतु आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों, बिन्दु सं. 19 के तहत व्यापार संघ हेतु आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों, बिन्दु सं. 21 के तहत बैंक भवन/सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालय, राजकीय उपकरणों आदि के लिए आवंटित होने वाले भूखण्डों के संबंध में लीज राशि 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। इसमें प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात 25 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी। आवंटी द्वारा लीज राशि की 10 गुणा राशि एक मुश्त जमा कराने पर आवंटी को भविष्य में लीज के भुगतान से मुक्त किया जा सकेगा।

अनुलग्नक 'अ'

प्रथम चरण के आवंटन हेतु प्रक्रिया

1. आवेदन पत्र आमंत्रित करना :-

- (1) नव निर्माणाधीन एवं भविष्य में निर्मित किये जाने वाले यार्डों की चारदीवारी पूर्ण होने के साथ ही मण्डी समिति द्वारा मुख्य मण्डी/गौण मण्डी एवं मण्डी क्षेत्र के "क" वर्ग दलालों/संयुक्त व्यापारी/व्यापारी वर्ग के अनुज्ञापत्रधारियों से दुकानों के भूखण्ड आवंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र, निर्धारित तिथि तक, आमंत्रित किये जायेंगे। इस हेतु कम से कम दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जावेगी।
- (2) आवेदन पत्र के फार्म निर्धारित मूल्य पर मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (3) दुकानों के आवंटन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के लिए मण्डी समिति द्वारा पृथक से एक प्राप्ति रजिस्टर खोला जावेगा एवं उसमें प्राप्त प्रार्थना पत्रों का इन्द्राज किया जायेगा।

2. दुकानों के आवंटन हेतु अंकों का निर्धारण, प्राप्त प्रार्थना पत्रों में वर्णित

तथ्यों का सत्यापन एवं वरीयता निर्धारण :-

- (1) आवेदकों की वरीयता निर्धारित करने हेतु कुल 100 अंक रखे जायेंगे, जिसमें अनुज्ञापत्र अवधि के 10, मण्डी शुल्क के 30 एवं टर्न-ओवर के 60 अंक होंगे।
- (2) अनुज्ञापत्र की अवधि के लिए अनुज्ञापत्रधारी को प्रत्येक पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए एक अंक दिया जायेगा एवं अधिकतम 10 अंक दिये जायेंगे।
- (3) मुख्य मण्डी प्रांगण के आवंटन में 5 हजार रुपये के औसत वार्षिक मण्डी शुल्क एवं 5 लाख रुपये के औसत वार्षिक टर्न-ओवर पर शून्य अंक दिये जायेंगे। इसके पश्चात् प्रत्येक 5 हजार के औसत वार्षिक मण्डी शुल्क एवं 5 लाख रुपये के औसत वार्षिक टर्न-ओवर पर क्रमशः एक-एक अंक दिये जायेंगे। उक्त अधिकतम अंक क्रमशः 30 व 60 होंगे।
- (4) गौण मण्डी यार्ड के आवंटन में एक हजार रु. मण्डी शुल्क एवं 2.50 लाख रुपये के औसत वार्षिक टर्न-ओवर पर शून्य एवं इनकी इसी दर से वृद्धि पर क्रमशः एक-एक अंक दिया जावेगा। उक्त अधिकतम अंक क्रमशः 30 व 60 होंगे।
- (5) अंकों के निर्धारण में केवल पूर्ण वित्तीय वर्षों के लिए ही अनुज्ञापत्र, औसत मण्डी शुल्क व औसत टर्न-ओवर के अंक ही दिए जायेंगे।
- (6) समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में अनुज्ञापत्र जारी करने की तिथि के अनुसार अधिकतम अवधि वाले अनुज्ञापत्रधारी को वरीयता दी जायेगी। यदि अनुज्ञापत्र जारी करने की तिथि एक समान हो तो मण्डी शुल्क भुगतान की राशि के आधार पर अधिक मण्डी शुल्क भुगतान करने वाले को वरीयता दी जाएगी।

3. वरीयता निर्धारण हेतु वार्षिक औसत निकालने की प्रक्रिया :-

- (1) वार्षिक औसत मण्डी शुल्क व टर्न-ओवर निकालने के लिए विज्ञप्ति जारी होने के ठीक पूर्व के तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों के आंकड़े जोड़कर एवं 3 का भाग देकर वार्षिक औसत निकाला जायेगा।
- (2) आवेदकों द्वारा मण्डी शुल्क एवं टर्न-ओवर के आंकड़े उन्हीं लेखों (Account) के आधार पर दिये जायेंगे जिनके आधार पर उन्होंने मण्डी शुल्क व बिक्री कर चुकाया है। प्रार्थना पत्र के साथ आवेदकों को एक इस आशय का शपथ-पत्र, दस रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराकर देना होगा कि जो मण्डी शुल्क व टर्न-ओवर के आंकड़े आवेदन पत्र में दिये गये हैं, वे फर्म की लेखा

पुस्तकों (Account Book) के आधार पर दिये गये हैं तथा इनके आधार पर ही बिक्री-कर एवं आयकर चुकाया गया है। यदि किसी आवेदक द्वारा न तो बिक्री-कर दिया जाता है और न ही आयकर दिया जाता है तो उस स्थिति में यह आंकड़े उनके द्वारा संधारित रिकार्ड के आधार पर होंगे। टर्न-ओवर के प्रमाण के लिए बिक्री-कर व आयकर निर्धारण आदेश की प्रति पेश करनी अनिवार्य होगी।

(3) आवेदक का मण्डी शुल्क वह मान्य होगा जो मण्डी समिति रिकार्ड के अनुसार जमा है।

(4) जहां आवेदक मण्डी सचिव के नोटिस के बावजूद भी टर्न-ओवर के आंकड़े अपने रिकार्ड से सत्यापित कराने में विफल रहता है तो ऐसी स्थिति में उस आवेदक द्वारा जमा कराये गये मण्डी शुल्क के आधार पर टर्न-ओवर निकाल लिया जायेगा, जो आवेदक को मान्य होगा।

4. आंकड़ों का सत्यापन :-

अनुज्ञापत्र अवधि, मण्डी शुल्क एवं टर्न-ओवर के आंकड़ों का सत्यापन आवेदकों की लेखा पुस्तकों (Account Books) से मण्डी समिति के सचिव द्वारा किया जावेगा। आंकड़ों का मिलान मण्डी में उपलब्ध रिकार्ड से भी किया जावेगा। मिलान किये जाने का सत्यापन सचिव द्वारा इन आंकड़ों की शीट पर अपने हस्ताक्षरों से अंकित किया जाएगा।

5. दुकानों का नम्बरिंग :-

दुकानों का नम्बरिंग, आवंटन समिति द्वारा अस्थाई वरीयता सूची के प्रकाशन से पूर्व किया जाएगा।

6. अस्थाई वरीयता सूची का प्रकाशन :-

(1) सचिव मण्डी समिति द्वारा आवेदन-कर्ताओं द्वारा आवेदन पत्रों में दिये आंकड़ों के आधार पर अस्थाई वरीयता सूची तैयार की जाकर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जावेगी। इसकी एक प्रति आवंटन समिति के सदस्यों को एवं सम्बन्धित व्यापार मण्डल के अध्यक्ष को, सभी आवेदन-कर्ताओं को सूचित करने के उद्देश्य से, उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) अस्थाई वरीयता सूची प्रकाशन की सूचना दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराई जावेगी।

(3) मण्डी समिति के नोटिस बोर्ड पर अस्थायी वरीयता सूची के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की अवधि में आवेदकों द्वारा अस्थाई वरीयता सूची के सम्बन्ध में आपत्तियां मण्डी समिति कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेंगी। प्राप्त आपत्तियों पर आवंटन समिति निर्णय करेगी एवं समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

7. आवंटन समिति की बैठक व अन्तिम वरीयता तैयार करना :-

(1) मण्डी समिति के सचिव के द्वारा उक्त प्रक्रिया अनुसार सत्यापित आंकड़ों के आधार पर जारी की गई अस्थाई वरीयता सूची, सत्यापित आंकड़े एवं तत्सम्बन्धी समस्त अभिलेख आवंटन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे। आवंटन समिति प्राप्त प्रार्थना पत्रों, सूचनाओं, मण्डी समिति द्वारा किये गये आंकड़ों के सत्यापन, अस्थाई वरीयता सूची के प्रकाशन पश्चात् आवेदकों से प्राप्त आपत्तियों पर निर्णय कर आवेदकों की अन्तिम वरीयता सूची तैयार करेगी एवं दुकानों/भूखण्डों का आवंटन, आवंटन नीति में प्रावधित प्रक्रिया के अनुसार करेगी।

(2) सचिव मण्डी समिति द्वारा आवंटन समिति की बैठक का नोटिस निर्धारित तिथि से कम से कम 10 दिन पूर्व जारी किया जावेगा।

8. आवंटन के पात्र आवेदकों को वरीयता क्रम के अनुसार दुकान/दुकानों के भूखण्ड का चयन करने का अवसर प्रदान किया जावेगा। उपलब्ध दुकानों के भूखण्डों/दुकानों में से वरीयताधारी को वरीयता क्रम से आवंटन समिति के समक्ष उपस्थित होकर उपलब्ध दुकानों के भूखण्ड/दुकानों में से दुकानों के भूखण्ड/दुकान का चयन करना होगा। वरीयताधारी आवेदक द्वारा किये गये दुकान के भूखण्ड/दुकान के चयन की पसन्द (Preference) व्यापार मण्डल के अध्यक्ष अथवा आवंटन समिति के किसी अन्य सदस्य से सत्यापित कराकर लिखित में आवंटन समिति को देनी होगी। आवंटन समिति द्वारा प्रथम वरीयताधारी को दिये गये दुकानों के भूखण्ड/दुकान के समक्ष क्रॉस अंकित कर सहमति स्वरूप वरीयताधारी के हस्ताक्षर कराये जाएंगे। इसके उपरांत अगले वरीयताधारी को बुलाया जावेगा एवं यह क्रम आवंटन पूर्ण होने तक जारी रहेगा। जो आवेदक अपनी वरीयता (पसन्द) बताने में असफल रहेगा, ऐसे असफल वरीयताधारियों को आवंटन समिति द्वारा शेष रही दुकानों के भूखण्डों/दुकानों में से लॉटरी पद्धति से आवंटन किया जावेगा।
9. मण्डी प्रांगणों में आवंटित दुकानों/गोदामों/भूखण्डों का कब्जा दिये जाने से पूर्व निदेशक कृषि विपणन से आवंटन समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
10. मण्डी समिति द्वारा आवंटन सूची का प्रकाशन मण्डी समिति के नोटिस बोर्ड पर किया जायेगा एवं आवंटियों को आवंटन की सूचना रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा दी जाएगी।
11. आवंटन से 30 दिन अथवा मण्डी समिति द्वारा निर्धारित तिथि, जो भी पहले हो, तक आवंटन की सभी शर्तों की पूर्ति कर आवंटी द्वारा आवंटित दुकान/दुकान के भूखण्ड का कब्जा लेना होगा, अन्यथा आवंटन निरस्त समझा जायेगा।

अनुलग्नक 'ब'

राज्य सरकार द्वारा घोषित "जिन्स विशिष्ट मण्डी प्रांगणों" में किये जाने वाले भूखण्डों के आवंटन हेतु पत्रांक : प.5 (30)निकृवि/आवंटन/16000-16134 दिनांक : 27.08.07 के द्वारा निर्धारित एवं निदेशालय के पत्रांक : प.5(63)निकृवि/आवंटन/38797-932 दि० 15.02.08 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के प्रावधानों में पत्रांक : प.5(155)निकृवि/आवंटन/8872-9007 दि० 18.06.10 के अनुसार संशोधित प्रावधानों/आरक्षित दर/प्रक्रिया का विवरण, जिसके अनुसार जिन्स विशिष्ट मण्डी प्रांगणों में भूखण्डों का आवंटन "अचल सम्पत्ति आवंटन नीति-2005" के प्रावधानों एवं शर्तों के अधीन किया जायेगा :-

1. कृषि जिन्सों के निर्यातको, राज्य से बाहर के व्यवसाईयो, जिन्स विशिष्ट की मूल्य संवर्द्धन/औद्योगिक ईकाई व मूल्य संवर्द्धन उत्पादों के सीधे निर्यातकों द्वारा मण्डी प्रांगण से कृषि जिन्सों की खरीद आरम्भ करने पर ऐसे निर्यातकों को कुल उपलब्ध भूखण्डों का 25% आरक्षित कर निकटस्थ रीको क्षेत्र की व्यवसायिक दर का 50% दर पर लाटरी पद्धति से भूखण्ड आवंटित किये जावेंगे। भूखण्डों की संख्या की तुलना में आवेदन पत्र अधिक प्राप्त होने पर भूखण्डों का आवंटन निलामी पद्धति से किया जावेगा ।
2. संबंधित कृषि उपज मण्डी समिति क्षेत्र के व्यवसाईयों को घोषित जिन्स विशिष्ट मण्डी प्रांगणों में भूखण्ड आवंटन हेतु संबंधित मण्डी समिति द्वारा समुचित सूचना जारी कर इच्छुकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाकर प्रथम चरण में भूखण्ड आवंटन हेतु निर्धारित होने वाली आरक्षित दर के प्रावधानान्तर्गत आरक्षित दर निर्धारित कर वरियता अनुसार भूखण्ड आवंटित किये जावेंगे ।
3. जिन्स विशिष्ट मण्डी प्रांगणों में भी कृषकों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आवंटन नीति के प्रावधानान्तर्गत भूखण्ड आरक्षित कर आवंटित किये जावेंगे ।
4. ऐसे विशिष्ट मण्डी प्रांगण जहां विद्यमान मण्डी प्रांगण से पृथक यार्ड निर्मित कराये गये हैं, उन मण्डी प्रांगणों में जिन्स विशिष्ट के अतिरिक्त एक या दो विज्ञप्त कृषि जिन्सों का व्यवसाय भी स्थानान्तरित कराया जा सकेगा किन्तु जिन्स विशिष्ट के अतिरिक्त व्यवसाय करने वाले व्यवसाईयों को भूखण्डों का आवंटन मण्डी समिति के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् ही किया जा सकेगा ।
5. ऐसे नव इच्छुक व्यवसाई जो जिन्स विशिष्ट मण्डी में भूखण्ड आवंटन चाहते हैं उनसे मण्डी समिति द्वारा समुचित सूचना जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित कर लाटरी पद्धति से भूखण्ड आवंटित किये जावेंगे । नव इच्छुक व्यवसाईयो द्वारा जिन्स विशिष्ट का 1 करोड़ रुपये का वार्षिक टर्न ओवर अथवा नेटवर्थ 10 करोड़ रुपये होना आवश्यक होगी । फल सब्जी जिन्स विशिष्ट मण्डियों में उक्त पात्रता 50 लाख रुपये का वार्षिक टर्न ओवर अथवा नेटवर्थ 5 करोड़ रुपये होगी । भूखण्डों की संख्या की तुलना में आवेदन पत्र अधिक प्राप्त होने पर भूखण्डों का आवंटन निलामी पद्धति से किया जावेगा। (निदेशालय के पत्रांक: प.5(30) निकृवि/आवंटन/20273 दिनांक 27.09.07 के अनुसार नव इच्छुक व्यवसाईयों को बिन्दु सं० 1 के प्रावधान में शामिल कर आवंटन पर विचार किया जाना अपेक्षित है)
6. जिन्स विशिष्ट मण्डी में प्रथम चरण के तहत दुकान/भूखण्ड आवंटन वक्त विद्यमान मण्डी प्रांगणों में दुकान/भूखण्ड आवंटी व्यापारी भी आवेदन कर सकेंगे किन्तु पूर्व आवंटित दुकान/भूखण्ड पर जिन्स विशिष्ट का व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा ।
7. विशिष्ट जिन्स मण्डी प्रांगणों में निर्यातकों, जिन्स विशिष्ट की मूल्य संवर्द्धन/औद्योगिक इकाईयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत छूट देय होगी ।

जिन्स विशिष्ट मण्डी प्रांगणों में भूखण्डों का आवंटन उक्तानुसार प्रक्रिया से अचल सम्पत्ति आवंटन नीति-2005 के प्रावधानों एवं शर्तों के अधीन किया जावेगा ।

अतः जिन्स विशिष्ट भूखण्ड आवंटन हेतु उक्तानुसार आवंटन प्रक्रिया निर्धारित कर निर्देश है कि भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें ।